



196

### न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर

- 1- संजय वल्लद देवकीनंदन शर्मा, उम्र 35 वर्ष  
निवासी - ग्राम मवई, हाल निवासी - गुहारा, तह. बड़ामलहरा, जिला छतरपुर
- 2- बृजेश शर्मा पिता स्व. देवकीनंदन शर्मा, उम्र 26 वर्ष
- 3- अशोक शर्मा पिता देवकीनंदन 30 वर्ष  
दोनों निवासी - ग्राम घुवारा तह. बिजावर जिला छतरपुर .....अपीलार्थी गण  
**विरुद्ध**

संजय वल्लद देवकीनंदन शर्मा  
बृजेश शर्मा  
अशोक शर्मा  
राजेश पिता मुन्नालाल ब्राह्मण  
राजेन्द्र पिता मुन्नालाल ब्राह्मण  
पंकज पिता मुन्नालाल ब्राह्मण

राममिलन पिता दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण  
मवई, हाल निवासी - कन्हैयाजी के मंदिर के पीछे, बड़ामलहरा  
तह. बड़ामलहरा, जिला छतरपुर

- 4- राजेश पिता मुन्नालाल ब्राह्मण, उम्र 32 वर्ष
- 5- राजेन्द्र पिता मुन्नालाल ब्राह्मण, उम्र 30 वर्ष
- 6- पंकज पिता मुन्नालाल ब्राह्मण, उम्र 28 वर्ष
- 7- पंकज पिता मुन्नालाल ब्राह्मण, उम्र 26 वर्ष
- आज सभी निवासी - जबलपुर तह. व जिला जबलपुर .....प्रतिअपीलार्थी

क्रमांक RP114  
जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा  
दिनांक 25-5-07

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू. राजस्व संहिता  
अपीलार्थीगण निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :

अपीलार्थी कर्तागण अति. कमिश्नर सागर द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 243/अ-27 /2004-05 मे पारित  
आदेश दिनांक 3.2.2007 के विरुद्ध यह निगरानी  
प्रस्तुत है।

#### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि देवकीनंदन हरप्रसाद (ला औलाद फौत )मुन्नालाल (फौत) एवं राममिलन आपस में सगे भाई हैं। सभी भाईयों के शामिल खाते में विवादित भूमि है। परंतु अपीलार्थीगण को सूचना दिये बिना ही नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 47 ए -27/97-98 में पारित आदेश दिनांक 14.1.99 को चोरी छिपे राममिलन ने एक बंटवारा आदेश पारित करा लिया। जिसकी जानकारी देवकीनंदन को ग्राम न्यायालय में राममिलन द्वारा कब्जा प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदन से प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही आवेदकगण ने दिनांक 14.1.99 की नकल 27.9.2004 को प्राप्त की। व जानकारी दिनांक से म्याद के अंदर ही आवेदकगण ने एस.डी.ओ. के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। परंतु एस.डी.ओ. द्वारा गुण

35  
18-5-07

राजेश पिता मुन्नालाल ब्राह्मण  
A50

10 RS. COURT FEE 10 RS. COURT FEE 10 RS. COURT FEE 10 RS. COURT FEE

